असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

12 जुलाई, 2023

सप्तदश विधान सभा — बुधवार, तिथि 12 जुलाई, 2023 ई0
नवम सत्र — 21 आषाढ़, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी, अपना स्थान ग्रहण करें । मैंने अल्पसूचित प्रश्न पुकार दिया है । माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर जी ।

(व्यवधान)

प्रश्नकाल हो जाय, उसके बाद आपको अवसर दिया जायेगा । नेता प्रतिपक्ष, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय,.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, नेता प्रतिपक्ष पहले नहीं बोलेंगे ?

अध्यक्ष : नहीं, पहले मैंने उनको कहा है । पहले उनको बोल लेने दीजिए । माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : महोदय, कृषि सलाहकार आज पटना की सड़कों पर उतरे हैं । लंबे समय से उनकी समायोजन की मांग रही है । सरकार उनकी यह सूचना ग्रहण करे और उनके समायोजन की कार्रवाई करे । कृषि सलाहकार काफी मेहनत करते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें । नेता विरोधी दल ।

(व्यवधान)

आप बैठिये, आप अपना स्थान ग्रहण करिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मैं आसन का सम्मान करता हूं....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नेता विरोधी दल खड़े हैं, आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, आसन संरक्षक है । महोदय, नेता विरोधी दल के बोलने की परंपरा भी रही है । महोदय, कल की तिथि में जो असंसदीय भाषा की बात कही गयी, तो वह शब्द कहीं से नहीं था । सुनने में या सत्ता के ट्रेजरी बेंच के दबाव में आसन से उस तरह की बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप सभी के संरक्षक हैं । महोदय, जनता देख रही है, आज बच्चे भी हैं और पूरे बिहार से हम लोग विश्वास जीतकर आते हैं, तो ईमानदारी से विरोधी दल का काम है कि सरकार की कमी को, खामी को, भ्रष्टाचार को उजागर करना ताकि सरकार उसको संज्ञान में ले ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : महबूब साहब, आप स्थान ग्रहण कीजिए । नेता विरोधी दल को मैंने पुकार दिया है, आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, मैं कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं कि पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा करने वाले.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिए । आप बहुत सजग सदस्य हैं, अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अपना वादा भूल क्यों गये ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : महबूब जी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : आज राज्य के युवाओं को पुलिस से पिटवा रहे हैं । कार्यरत शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने एवं समान वेतन, समान सुविधा एवं भत्ता का वादा करने वाले आज मौन क्यों हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : महबूब जी, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय संविदाकर्मी लाखों नौजवान, किसान सलाहकार आज पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है, महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, प्रश्नकाल है, इसलिए संक्षेप करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : 13 साल से कार्यरत हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । इन्हें स्थायी करते हुए जनसेवक के पद का दर्जा दिया

जाय । वित्त रहित शिक्षकों के अनुदान की राशि महीनों से बकाया क्यों है ? महोदय, अनुदान की राशि में कटौती क्यों की जा रही है ? महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके भ्रष्टाचार के जीरो टोलरेंस पर पूरा बिहार और देश दीवाना था, आज भ्रष्टाचारियों से समझौता क्यों ?

अध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर ।

श्री राणा रणधीर : महोदय, नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय,.....

अध्यक्ष : आप बैठे रहे, मैंने इनको कहा, इन्होंने अपनी बात को रख दिया, इसके बावजूद भी तीन बार पुकारा राणा रणधीर जी । मैं भी पुराना सदस्य हूं, मैं समझ रहा हूं कि आप क्या चाह रहे हैं । इसलिए आप प्रश्न पूछिये । तीसरी बार पुकार रहा हूं, अगर नहीं पूछेंगे, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0-9, श्री राणा रणधीर (क्षेत्र सं0-18, मधुबन)

श्री राणा रणधीर : महोदय, पूछता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक- 15.06.2023 के प्रातः सिवान जिला के लकड़ीनवीगंज प्रखण्ड के खवासपुर गांव में सारण मुख्य नहर का दायां बांध वि0दू0 204 पर क्षतिग्रस्त हो गया । उक्त स्थल पर नहर बांध के क्षतिग्रस्त होने की घटना नहर का बायीं ओर मुड़ना तथा बायें किनारे पर गाद जमा होने के कारण जलस्राव दायीं ओर शिफ्ट कर जाने के कारण घटी । नहर का पानी क्षतिग्रस्त स्थल के निम्न प्रवाह में अवस्थित सी0डी0 से होते हुए नहर के बायें तरफ स्थित चौर में जमा हो गया । क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मति युद्धस्तर पर कराते हुए अगले दिन सारण मुख्य नहर में जलस्राव प्रवाहित कर दिया गया ।

खरीफ एवं रबी सिंचाई अवधि में नहर के रख-रखाव एवं संचालन हेतु आवश्यकतानुसार मौसमी मजदूरों को कार्य पर रखा जाता है ।

नहर तटबंध क्षतिग्रस्त होने के कारणों की जांच हेतु दिनांक-16.06.2023 को विभागीय उड़नदस्ता दल द्वारा घटनास्थल पर जाकर जांच की गयी तथा जांच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक-1359, दिनांक-04.07.2023 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा से स्पष्टीकरण पृच्छा की गई है । प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा कर 15 दिनों के अन्दर आवश्यक कार्रवाई की

जायेगी । खरीफ एवं रबी सिंचाई अवधि में नहर संचालन हेतु आवश्यकतानुसार मौसमी मजदूरों को रखा जाता है एवं इनके द्वारा नहर में जल-प्रवाह एवं नहर गेटों का संचालन सुचारू रूप से कराया जाता है ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए । मंत्री जी ने उत्तर तो दिया है, लेकिन दूसरे खण्ड का उत्तर नहीं दिया है । बांध पर पहले तटबंध रक्षक, बांध चौकीदार हुआ करता था उसके संदर्भ में भी मैंने प्रश्न किया है, उसके विषय में मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है और 1976 में ही जिन बांधों का निर्माण हुआ उन पर अभी तक रेजिंग और स्ट्रेंथनिंग का काम नहीं हुआ है । अध्यक्ष महोदय, बिहार में सभी तटबंधों का जो टॉप होता है, उस टॉप की चौड़ाई कम हो गयी है, स्लोप जो होता है वह बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया और कई मौके से, जैसा मैंने प्रश्न में कहा और समाचार पत्र में भी था, विभाग की तरफ से यह जवाब दिया जाता है कि चूहे बांध में छेद कर गये और इस कारण से बांध टूट गया । मैं सिकरहना प्रमंडल के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें करीब तिरहुत कमिश्नरी के साथ 7-8 जिले आते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये ।

श्री राणा रणधीर : प्रश्न ही पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय । एक तो मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि बांध चौकीदार पहले रहते थे, सरकार रोजगार देने की बात करती है, लेकिन बांध चौकीदार बहाल नहीं हो रहे हैं उसके विषय में मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब में बताया कि अभी आवश्यकतानुसार मजदूर को वहां पर गेट संचालन के लिए, सिंचाई के काम के लिए रखा जाता है और फ्लड के टाईम में तो हम लोग रखते ही हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी जब कहे करीब 3700 लोग आज भी एक-एक किलोमीटर पर उसी एरिया के, उसी पंचायत के लोगों को रखा गया है । लेकिन इसमें जहां जरूरत होती है, विभाग के इंजीनियर जो रिक्वीजिशन देते हैं, उस हिसाब से वहां पर मजदूर को रखा जाता है।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, नहीं हो रहा है । सरकार रोजगार देने की बात करती है, 10 लाख रोजगार गारंटी की बात हुई, बांध चौकीदार जो रिटायर कर रहे हैं उस पर कोई बहाली नहीं हो रही है । मेरा प्रश्न यह है कि चौकीदार की बहाली नहीं हो रही है । महोदय, बिहार के ग्रामीण रोजगार का सवाल है । उसके विषय में सीधा सवाल है, सीधा जवाब दिलवा दीजिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट जवाब दिया है । आपके जिस प्रश्न का जवाब उन्होंने दिया है उससे आपको संतुष्ट होना चाहिए ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, आपके जिले का भी विषय है । पूरे बिहार का विषय है । बांध के चौकीदार की बहाली नहीं हो रही है ।

अध्यक्ष : बड़ी प्रसन्नता है कि आप मधुबन से लकड़ी नवीगंज सिवान पहुंच गये हैं ।

श्री राणा रणधीर : महोदय, जुड़ा हुआ है न । बांध वाला ईलाका आपका भी है, बांध वाला ईलाका हमारा भी है ।

अध्यक्ष : आप अंतिम पूछिये । क्या कहना चाहते हैं आप ?

श्री राणा रणधीर : मेरा बस सीधा एक सवाल है कि बांध चौकीदारों की बहाली करने का विषय सरकार रखती है कि नहीं रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : नहीं, अभी कोई ऐसा विषय हमारे संज्ञान में नहीं है, न विभाग के पास है । लेकिन मैंने कहा कि मजदूरों का जहां जैसी जरूरत होती है सिंचाई के लिए हम लोग उपयोग करते हैं । जो मूल प्रश्न इनका था, उसमें भी कहा कि 24 घंटे में हम लोगों ने उस बांध को रिस्टोर कर लिया । जो कार्रवाई है, वह हम लोग 15 दिन में करने जा रहे हैं उनके ऊपर और वजह भी बताई, उसकी भी जांच हो गयी कि किस वजह से वहां पर टूटा था ।

टर्न-2/धिरेन्द्र/12.07.2023

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, जब नहर में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी का नाम हमने पुकार दिया है । भाई वीरेन्द्र जी पूछ रहे हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न था कि जब नहर में गाद जमा था तो इसकी जानकारी पदाधिकारी को थी या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट बताया कि इस विषय में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से स्पष्टीकरण पूछा गया है, उनका स्पष्टीकरण जब आ जायेगा तो उसके बाद उस पर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, जब गाद की सूचना पदाधिकारी को थी तो बांध के क्षतिग्रस्त होने के पूर्व गाद की उड़ाही क्यों नहीं कर दी गई ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं तो बता रहा हूँ कि जो भी कमी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से स्पष्टीकरण पूछा गया है, उनका जवाब आ जायेगा तो जो भी कार्रवाई करनी है वह की जायेगी ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-10

(श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, क्षेत्र सं0-221, नवीनगर)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य स्थित जलाशय बारहमासी नदी स्रोत पर निर्मित नहीं है बल्कि वर्षापात पर आधारित है । नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षापात होने पर जलाशयों में जल संचयन हो पाता है यदि वर्षा नहीं हो तो जल संचयन नहीं हो पाता है ।

2- दिनांक-21.06.2023 को बिहार राज्य स्थित 23 जलाशयों में से 14 जलाशयों के जीवंत जल संचयन क्षेत्र में जल संचित नहीं था । शेष 09 अदद जलाशयों में औसतन 7.40 प्रतिशत जल संचयन पाया गया है । साथ ही, जुलाई के प्रथम तिथि को पिछले 05 वर्षों में 10 प्रतिशत से अधिक जल संचयन पाये जाने वाले जलाशयों की औसतन संख्या 13 है ।

3- बिहार राज्य स्थित जलाशयों के जल संचयन के लिए वर्षापात के अलावा वर्तमान में कोई अन्य विकल्प नहीं है किन्तु जिन जलाशयों में गाद के कारण जल संचयन क्षमता में ह्रास हुआ है उनका जल संचयन क्षमता बढ़ाये जाने के लिए खान एवं भू-तत्व विभाग से समन्वय स्थापित किया जा रहा है । माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी दो बैठकें हुई हैं और उसके द्वारा गाद निकासी की प्रक्रिया की जायेगी और माइनिंग के साथ हमारा....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति-शांति । माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, शांति बनाये रखें ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, माइनिंग के साथ हमारी कल भी मीटिंग हुई है, अब वह सही डायरेक्शन में है, जल्द ही माइनिंग के साथ समन्वय स्थापित कर डिसिल्टिंग का काम शुरू हो जायेगा ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूँ कि खासकर साउथ बिहार के अंदर में जिस तरह की स्थिति अभी उत्पन्न है खासकर पेयजल से लेकर सिंचाई तक का, ये तो भगवान भरोसे छोड़ देने वाली बात है कि कहीं पर जल संचय करने का, किसी भी नदी पर, कहीं पर

भी हमलोग चेकडैम नहीं देख रहे हैं । खासकर हमारे जिला औरंगाबाद के अंदर में दो-दो बड़ी नदियाँ पुनपुन और बटाने नदी है और आज....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप शांति बनाये रखें, यह कोई तरीका नहीं है, वे पूरक पूछ रहे हैं । उनको पूरक पूछने दीजिये, उसके बाद माननीय मंत्री जवाब देंगे ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि खासकर औरंगाबाद जिला के अंदर में जो स्थिति आज के डेट में है कि गर्मी की स्थिति में न पीने का पानी था, न मवेशियों को पीने के लिए पानी कहीं भी था । हमलोग जब से पैदा लिये हैं तब से हमलोग जानते हैं कि नदियाँ जो थी वह बारहों मास चलती थीं । आज विगत 10 सालों से हमारे यहाँ पुनपुन, बटाने और रामरेखा सब नदियाँ सूख गई हैं । अब उसमें जल संचय करने के लिए पूरे इलाके के लोग और खासकर मवेशियों को जो दिक्कत हो रही है, इस बार हजारों मवेशी पानी पीये बिना मरे हैं । उसके लिए क्या व्यवस्था अभी तक की गई है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो विभाग के बारे में स्पेसिफिक, पेयजल के बारे में तो मैं नहीं बता पाउंगा कि क्या व्यवस्था वहाँ की गई है लेकिन विभाग को लेकर जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये तो लंबा डिबेट हो जायेगा, जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, जल-जीवन-हरियाली लाया गया कि पानी का वॉटर लेवल ठीक किया जाय लेकिन वहाँ पर, मैंने माननीय सदस्य को बताया कि हमलोग माइनिंग डिपार्टमेंट से समन्वय स्थापित कर चूंकि उनका बड़ा रोल हो जाता है । सुप्रीम कोर्ट है, एन॰जी॰टी॰ है, एक छोटा-सा भी कुछ करने जाइये तो उसमें 20 तरह का क्वेश्चन उनका आ जाता है लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट से हमलोगों का समन्वय हो गया है । कल भी इसको लेकर दोनो डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव बैठे थे, उसका रास्ता निकल गया है और जल्द ही माइनिंग विभाग के साथ जल संसाधन विभाग मिलकर इस टाइप की जितनी जगह है, उसमें हमलोग खुदाई का काम शुरू करने वाले हैं । पहली बार बिहार में यह काम होने जा रहा है ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से हम एक चीज जरूर जानना चाहेंगे...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी बहुत स्पष्ट जवाब दिये हैं ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : नहीं, महोदय । माननीय अध्यक्ष जी, एक चीज हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि भारत सरकार ने हर मीटिंग में बोला है कि

हमलोग नदियों को जोड़ने का काम करेंगे । जहाँ पर सिंचाई के लिए पानी नहीं आ पा रहा है, वहाँ पर इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर करेंगे । पूरे बिहार के अंदर अभी तक इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर कहाँ पर किया गया है, उसकी भी जानकारी पूरे सदन को देने का काम करें ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी भारत सरकार से...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति-शांति ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, एक भी योजना भारत सरकार से इंटर लिंकिंग के लिए नहीं दी गयी है, एक योजना भी नहीं दी गई है । एक कोसी-मेची लिंक है, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इंटर स्टेट, अपने स्टेट में ही लिंकिंग कीजिये, जिसकी पहली योजना शिवहर में बेलवा में ऑलरेडी उसका मेजर काम हेड रेगुलेटर का हो गया है और हमको लगता है कि पिछले-से-पिछले कैबिनेट में हमलोगों ने मीनापुर लिंक चैनल को सैंक्शन किया है जिससे कि शिवहर से जो बागमती नदी का पानी हमलोग बूढ़ी गंडक में ट्रांस्फर करेंगे । पहली योजना ऑलरेडी एडवांस स्टेज में है, काम चल रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बचोल जी, माननीय सदस्य जो प्रश्नकर्ता हैं, वे खड़े हैं, वे जब तक बैठ नहीं जायेंगे तब तक आपको अवसर नहीं दिया जायेगा । माननीय प्रश्नकर्ता, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट जवाब दिया, आप संतुष्ट हो जाइये, ये कार्रवाई करेंगे । अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-11

(श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, क्षेत्र सं0-221, नवीनगर)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, (क) आंशिक स्वीकारात्मक है । पूरे राज्य में कुल 10240 नलकूप हैं, इनमें से 1318 नलकूपों को परित्यक्त घोषित किया जा चुका है, शेष 8922 नलकूपों में से 4703 नलकूप वर्तमान में चालू हैं तथा 4219 नलकूप बंद हैं ।

(ख) आंशिक स्वीकारात्मक है । राज्य में किसानों को सिंचाई हेतु नलकूपों के अलावे आहर-पईन, निजी नलकूप एवं नहर इत्यादि का साधन उपलब्ध है, जिससे उन्हें सिंचाई की सुविधा मिल रही है ।

(ग) राज्य के बंद पड़े कुल 4219 नलकूपों में से कूल 1742 नलकूपों पर मरम्मति हेतु ग्राम पंचायत को राशि आवंटित की जा चुकी है तथा 794 नलकूपों का प्राक्कलन विभाग के द्वारा स्वयं तैयार किया गया है । निधि उपलब्धता एवं विभागीय प्राथमिकता के आधार पर विहित प्रक्रिया के तहत नलकूपों को ग्राम पंचायतों के माध्यम से चालू कराया जा सकेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह जी, अगर आप संतुष्ट हैं तो मैं आगे बढ़ूं अन्यथा आप पूरक पूछना चाहते हैं तो पूछें ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब में स्पष्ट दिया है कि 1318 नलकूप परित्यक्त घोषित हो चुके हैं, बंद हैं । अब माननीय मंत्री जी उसको रिवायवल करने के लिए, क्योंकि यह सीधा किसानों से जुड़ा हुआ मामला है । यह जो बंद पड़ा हुआ है, जिसको-जिसको परित्यक्त घोषित कर दिया गया है, उसके लिए अभी तक कार्य योजना आपके विभाग से, सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है ? उसकी जानकारी हम चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिस नलकूप को परित्यक्त घोषित किया गया है, वहाँ पर शहरी आबादी बस गई है, वहाँ पर नलकूप की आवश्यकता नहीं है । जो नलकूप परित्यक्त हैं, खराब हैं, उसके लिए विभाग काम कर रहा है । उसको आगे हमलोग निधि के अनुसार, जब-जब आयेगा तो हमलोग ठीक करते जा रहे हैं । हमलोग लगभग 1742 नलकूप की राशि आवंटित कर दिये हैं और 794 नलकूप का प्राक्कलन तैयार कर दिये हैं जो बचे हुए नलकूप हैं उसको भी निधि के अनुसार हमलोग तैयार करने जा रहे हैं । माननीय सदस्य के पास अगर ऐसी कोई सूची है जिसको तुरंत करने की आवश्यकता है तो हमलोग उसको करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी बहुत स्पष्ट जवाब दिये ।

टर्न-3/संगीता/12.07.2023

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बस एक और पूरक पूछना चाहता हूं । जितना आहर और पईन के बारे में इन्होंने जानकारी दिया है, खासकर के साउथ बिहार के अंदर में मगध का जो क्षेत्र है, प्राकृतिक रूप से पानी हमलोगों के पास में आता है लेकिन वह बहकर बड़ी नदियों में चला जा रहा है और उसका हमलोग फायदा नहीं उठा पा रहे हैं । हम माननीय मंत्री जी से और सरकार से यह अपील करेंगे आग्रह करेंगे कि छोटी-छोटी चेकडैम्स उसको बनाकर और जल संचय

करने की व्यवस्था करें । अगर एग्रीकल्चर के यूज में नहीं आएगा तो कम से कम पीने के पानी के यूज में तो आ जाएगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : सत्ताधारी दल को 5 पूरक और इधर 3 पूरक ही पूछने देते हैं ?

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

अध्यक्ष : नहीं, नहीं । अब अल्पसूचित प्रश्नों का समय समाप्त हुआ । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री मुहम्मद इजहार असफी ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या-130 (श्री मुहम्मद इजहार असफी, क्षेत्र संख्या-55, कोचाधामन)

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न हो रहे हैं । असफी साहब, आप अपना प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री मुहम्मद इजहार असफी : जी, पूछता हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग । माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग असफी साहब का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

अल्पसूचित का समय समाप्त हो गया है । अब तारांकित प्रश्न लिये जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

अध्यक्ष : नहीं, यह गलत है, गलत है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पुल निर्माण से संबंधित है । बाघमोहर में रमजान नदी पर पुल निर्माण- उक्त पुल स्थल के एक तरफ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : बनवारी टोला अवस्थित है, जिसकी संपर्कता शीर्ष GTSNY अंतर्गत निर्मित PMGSY पथ से बनवारी टोला तक पथ से प्राप्त है एवं दूसरी तरफ बाघमोहर बसावट अवस्थित है, जिसकी संपर्कता शीर्ष MMGSY अंतर्गत निर्मित बैरगाछी से बागमोहर तक पथ से प्राप्त है । उक्त पुल स्थल के डाउनस्ट्रीम में लगभग 2 किलोमीटर पर पुल निर्मित है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : नहीं, नहीं । माननीय सदस्य, आप बहुत संयमित सदस्य हैं, आप जाइए उधर ।

(व्यवधान जारी)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : 2. लोहाडांगा में रमजान नदी पर पुल निर्माण- उक्त पुल स्थल के एक तरफ लोहाडांगा बसावट अवस्थित है, जिसकी संपर्कता शीर्ष GTSNY अंतर्गत निर्मित PMGSY पथ से लोहाडांगा तक पथ से प्राप्त है एवं दूसरे तरफ काशीपुर गाँव अवस्थित है, जिसकी संपर्कता...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : पोस्टर हटा लें । पोस्टर ले लीजिएगा ।

(व्यवधान जारी)

पोस्टर नहीं, पोस्टर नहीं । पोस्टर दे दीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत मरम्मति किये गये सलकी TO1 से काशीपुर तक पथ से प्राप्त है । उक्त पुल स्थल के अपस्ट्रीम में लगभग 3 कि0मी0 पर पुल निर्मित है । प्रश्नाधीन पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के Alignment पर नहीं है । विभाग द्वारा सम्प्रति राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी पथ से एकल संपर्कता दिया जाना है । प्रश्नाधीन पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावटों को एकल संपर्कता प्रदत्त है ।

अंत में, प्रश्नाधीन दोनों पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय...

श्री मुहम्मद इजहार असफी : महोदय, बस एक पूरक है महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है सिर्फ एक ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : मेरा कहना है कि पुल नहीं रहने की वजह से बच्चे और बच्चियां स्कूल नहीं जा पाते हैं । लिहाजा बाघमोहर, लोहाडांगा में रमजान पुल पर पुल होना अति आवश्यक है, महोदय ।

अध्यक्ष : प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : मेरे विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किशनगंज जिला के काशीपुर, बाघमोहर और लोहाडांगा में पुल होना बहुत जरूरी है ।

अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए, क्या चाहते हैं ?

श्री मुहम्मद इजहार असफी : उसमें पुल होना बहुत जरूरी है इसलिए पुल होने का अनुरोध करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब में स्पष्ट कर दिया गया है कि ये मामला जो दो पुलों का है, पहला बाघमोहर में रमजान नदी पर पुल

निर्माण का है तो वहां डाउनस्ट्रीम में लगभग 2 किलोमीटर पर पुल निर्मित है और दोनों तरफ एकल संपर्कता जो दिया जाना है वह भी है । दूसरा जो पुल है लोहाडांगा में रमजान नदी पर पुल निर्माण का तो अपस्ट्रीम में 3 किलोमीटर पर निर्मित है पुल और ये ग्रामीण कार्य के एलाइनमेंट में भी नहीं आता है और एकल संपर्कता जो है दोनों जगह जो है बसावटों से वह दिया गया है पहले से ।

तारांकित प्रश्न संख्या-131 (डॉक्टर संजीव कुमार, क्षेत्र संख्या-151, परबत्ता)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, डॉक्टर संजीव कुमार । माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग ।

(व्यवधान जारी)

माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग । प्रश्नकर्ता हैं डॉक्टर संजीव कुमार, परबत्ता। डॉक्टर संजीव कुमार ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष : समय चाहिए ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : जी, महोदय ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मनोज यादव ।

श्री डॉक्टर संजीव कुमार : सर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या-132 (श्री मनोज यादव, क्षेत्र संख्या-163, बेलहर)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मनोज यादव । माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बाँका जिलान्तर्गत NH-333A के किलोमीटर 199.00 को पार कर बहने वाली चीर नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : ऐसा न करें । ये अशोभनीय है, ऐसा न करें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : जिसकी प्राक्कलित राशि 30.00 करोड़ रूपये है । यातायात की सुविधा हेतु लगभग 250.00 मी0 लम्बाई में डायभर्सन NP4 Hume Pipe पर तैयार किया गया Causeway है, जिसकी वाहन क्षमता बड़े वाहनों के परिचालन हेतु पर्याप्त नहीं है । सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़े वाहनों का परिचालन वैकल्पिक मार्ग से करने एवं डायभर्सन पर बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई गई है । पुल का निर्माण माह नवम्बर, 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान ।

(व्यवधान जारी)

श्री मनोज यादव : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान जारी)

आपके प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया है, संतुष्ट होइए, बैठिए । स्थान ग्रहण कीजिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या–133 (श्री अखतरूल ईमान, क्षेत्र संख्या–56, अमौर)

अध्यक्ष : श्री अखतरूल ईमान साहब ।

श्री अखतरूल ईमान : पूछता हूं सर ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का निर्माण शीर्ष MMGSY (NDB) योजनान्तर्गत रायबैर PWD रोड से पोखरिया तक पथ के नाम से प्राक्कलन के अनुसार कार्य कराया गया है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसा आचरण न करें कि बाध्य होकर मुझे कार्रवाई करनी पड़े ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि अंतर्गत है । पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि अंतर्गत मरम्मति कार्य कराया जा रहा है । पथ की स्थिति संतोषप्रद है ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, माननीय मंत्री जो कि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं और गंभीर भी हैं और विभाग के इस तरह की कार्रवाई की अगर अनदेखी की गई तो बड़ा नुकसान होगा राज्य का...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप मंत्री रहे हैं । ऐसा आचरण न कीजिए कि बाध्य होकर के कुछ करना पड़े ।

श्री अखतरूल ईमान : मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री जी उस सड़क को दिखवा लें । वहां पर जंगल उग आया है, अभी बने हुए छह महीना भी नहीं हुआ सड़क के...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, अनुरक्षण पॉलिसी के मुताबिक कहीं सड़क का मेन्टेनेंस नहीं हो रहा है । उस सड़क में पूरी अनियमितता हुई है । प्राक्कलन के मुताबिक काम नहीं हुआ है । मैं चैलेंज करता हूं कि कोई कमेटी गठित की जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

टर्न-4/सुरज/12.07.2023

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही सड़क की जानकारी प्राप्त कर ली है और वाकई हमने तस्वीर भी मंगवायी है, उस जगह की तस्वीर भी हमारे पास है । अगर आपको किसी भी रोड में किसी प्वांइट पर या किसी किलोमीटर पर अगर आपको डाउट है तो आप उसका प्रमाण दे सकते हैं । अगर जरूरत पड़े तो हमलोग उस पर कार्रवाई कर सकते हैं । लेकिन हमारे पास जो तस्वीरे हैं, जो हमने मंगायी है इसमें काम भी चल रहा है । हम ये आपको उपलब्ध भी करवा देंगे ।

(व्यवधान जारी)

श्री अखतरूल ईमान : माननीय मंत्री महोदय, आप विभाग के द्वारा भेज गये तस्वीरों पर विश्वास करते हैं, मैं वहॉ का विधायक हूँ...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : तो आप लाकर दे दीजिये ।

अध्यक्ष : आप मंत्री जी को उपलब्ध करवा दीजिये ।

श्री अखतरूल ईमान : मैंने चलकर सड़क देखी है । एक नहीं अनेको अनियमितताएं हैं और मैं दावा करता हूं कि प्राक्कलन पर काम नहीं हुआ है । क्या आप मेरे अनुरोध पर उसका पुनः जांच कराना सुनिश्चित करेंगे ?

अध्यक्ष : आप कागजात उपलब्ध करा दीजिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हमको बता दें कि कौन से किलोमीटर पर कहां क्या दिक्कत है ?

श्री अखतरूल ईमान : पूरी सड़क में है, पूरी सड़क पर चलकर मैं देखा हूं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : हमारे पास तो जो रिपोर्ट है उसमें ऐसी कोई बात नहीं आयी है । आप उपलब्ध करवा दीजिये हम देख लेंगे ।

श्री अखतरूल ईमान : ठीक है ।

अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्त्ता, आप कागजात उपलब्ध करा दीजियेगा, मंत्री जी कार्रवाई करेंगे ।

(व्यवधान जारी)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-134 (श्री अजीत कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-201, डुमराँव)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय 1- उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि मनरेगा अंतर्गत कार्यरत पंचायत रोजगार सेवक के मानदेय का भुगतान राज्य स्तर से HRMS Software के माध्यम से माह-अक्टूबर, 2017 से किया जा रहा एवं इनके ई0पी0एफ0 कटौती की राशि नियमित रूप से ई0पी0एफ0 खाते में जमा की जा रही है ।

पंचायत तकनीकी सहायक के मानदेय का भुगतान नरेगा सॉफ्ट पर प्रखंड स्तर से एफ0टी0ओ0 के माध्यम से सीधे पंचायत तकनीकी सहायक के बैंक खाते में किया जाता है । उक्त क्रम में पंचायत तकनीकी सहायक के ई0पी0एफ कटौती सुनिश्चत करने हेतु उनके मानदेय का भुगतान राज्य से किये जाने का निर्णय लिया गया तथा इस हेतु पत्रांक- I/19789/2022 दिनांक-14.03.2022 द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को नरेगा सॉफ्ट पर आवश्यक प्रावधान करने हेतु अनुरोध किया गया । तदनुसार कतिपय स्मार पत्र भारत सरकार को प्रेषित है ।

उक्त आलोक में नरेगा सॉफ्ट पर कर्मियों के निबंधन एवं मानदेय समेकित रूप से अपलोड किये जाने का प्रावधान नहीं किया जा सका, जिसके कारण पंचायत तकनीकी सहायकों का राज्य स्तर से मानदेय भुगतान तथा ई0पी0एफ0 कटौती का निर्णय कार्यान्वित नहीं किया जा सका है । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा State Login से Payment हेतु कोई प्रावधान अब तक नहीं किया गया है ।

इस तकनीकी समस्या के समाधान होते ही पंचायत तकनीकी सहायकों के ई0पी0एफ कटौती सुनिश्चित करते हुये उनका मानदेय भुगतान राज्य स्तर से प्रारंभ कर दिया जायेगा ।

वर्ष 2017 के पूर्व बक्सर जिला में मनरेगा अंतर्गत कार्यरत पंचायत तकनीकी सहायक एवं पंचायत रोजगार सेवक के मानदेय से कटौती की गयी ई0पी0एफ0 की राशि को जमा करने हेतु बी0आर0डी0एस0 पत्रांक-563 दिनांक-06.07.2023 द्वारा अन्य जिलों के साथ बक्सर को भी निदेशित किया गया है ।

2-उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2017 से पूर्व मनरेगा अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित पंचायत रोजगार सेवक एवं पंचायत तकनीकी सहायक का निर्धारित दर पर ई0पी0एफ0 की कटौती एवं जमा किये जाने हेतु जिलों को विभागीय पत्रांक-8882 दिनांक-13.07.2011 से निदेश दिया गया था । परन्तु कतिपय जिलों द्वारा इनके ई0पी0एफ में Establishment का रजिस्ट्रेशन नहीं होने के

कारण राशि जमा नहीं की गयी है । अतएव ई0पी0एफ की राशि अविलम्ब जमा करने हेतु उन जिलों को बी0आर0डी0एस0 पत्रांक-563 दिनांक-06.07.2023 द्वारा निदेशित किया गया है ।

3-उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, बहुत लंबा जवाब है इसलिये मैं पूरक पूछता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रश्नकर्त्ता पूरक ही पूछ रहे हैं, उत्तर उनको प्राप्त हो चुका है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : ठीक है, महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक पूछिये ।

(व्यवधान जारी)

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, मेरा पूरक ये है कि मेरे प्रश्न पूछने के बाद विभाग ने यह फैसला लिया है कि पंचायत रोजगार सेवक और तकनीकी सहायकों का ई0पी0एफ0 दिया जायेगा । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उनको कब तक ई0पी0एफ0 दे दिया जायेगा ? कृपया इसका डेट बताने का कष्ट करेंगे ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को विस्तार से जवाब दिया है और इस जवाब में ही पूरी बात लिखी गयी है । लेकिन माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कब तक इनको लाभ मिल सकता है । मैंने अपने जवाब में ही कहा है, हमने यह कहा कि 17 जिलों में ई0पी0एफ0 की राशि की कटौती हो रही है और 2017 से पी0टी0ए0 को छोड़ करके जितने भी मनरेगा के कर्मी हैं उनकी राशि की कटौती हो रही है और यह बक्सर जिला से संबंधित प्रश्न है । बक्सर जिला के अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है कि 15 दिन के अंदर इस समस्या का हल निकालें । महोदय, हमने निर्देश दिया है 15 दिन में इनके मामले का हल निकाल दिया जायेगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार यादव । माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-135 (श्री मुकेश कुमार यादव, क्षेत्र सं0-27, बाजपट्टी)</u>

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, 1. आंशिक स्वीकारात्मक है । पथ निर्माण कार्य दिनांक-08.05.2022 को पूर्ण हुआ है ।

2. इस पथ का निर्माण कार्य प्राक्कलन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया गया । पथ में प्रयुक्त सामग्रियों की जाँच क्षेत्रीय प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर, NQM (National Quality Monitor) एवं SQM (State Quality Monitor)

के द्वारा कराया गया है, जो संतोषप्रद पाया गया । उक्त पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में है तथा पथ की स्थिति अच्छी है ।

(व्यवधान जारी)

पुनः अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सीतामढ़ी को मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-3513 दिनांक-05.07.23 द्वारा जाँच हेतु निदेशित किया गया है । तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी ।

3- उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, मैं मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूं । धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-136 (श्री युसुफ सलाहउद्दीन, क्षेत्र सं0-76, सिमरी, बख्तियारपुर)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री युसुफ सलाहउद्दीन । माननीय सदस्य, अगर आपको प्रश्न का जवाब उपलब्ध हो गया है तो आप पूरक प्रश्न पूछिये ।

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब हम पढ़ देते हैं । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन सभी पथों का असंबद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, भागलपुर द्वारा स्थल निरीक्षण करा लिया गया है । स्थल निरीक्षण के अनुरूप पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है । तदोपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं0-137 (श्री जितेंद्र कुमार, क्षेत्र सं0-171, अस्थावॉ)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री जितेंद्र कुमार । अगर आपको प्रश्न का जवाब मिल गया है तो पूरक पूछिये ।

श्री जितेंद्र कुमार : महोदय, जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय 1- आंशिक स्वीकारात्मक है । प्रश्नाधीन योजना की निविदा में....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप ऐसा आचरण न करें अन्यथा आसन को कार्रवाई करनी पड़ेगी ।

श्री जयंत राज, मंत्री : कुल 14 संवेदकों द्वारा भाग लिया गया था, जिसमें एक संवेदक के तकनीकी निविदा को अमान्य कर दिया गया था । सिर्फ 13 संवेदकों के वित्तीय निविदा में से एक संवेदक को अनुसूचित दर पर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप आसन को कार्रवाई करने के लिए बाध्य न करें, आप इस तरह के कार्य न करें ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, इन पर उचित कार्रवाई की जाय ये अशोभनीय आचरण कर रहे हैं, ये अशोभनीय कार्य कर रहे हैं । इन पर उचित कार्रवाई की जाय ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 13 जुलाई, 2023 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।